



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102020-222802
CG-DL-E-28102020-222802

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3414]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 28, 2020/कार्तिक 6, 1942

No. 3414]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2020/KARTIKA 6, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3868(अ).—केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू, रियासी, राजौरी एवं पुँछ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 144ए के कि.मी 90+150 से 116+980 कि.मी. तक अखनूर से पुँछ रोड का निर्माण (चैडीकरण/दो लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितवद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् डिप्टी कमिश्नर भूमि अधिग्रहण अधिकारी-राजौरी आफिस-राजौरी जिला-राजौरी को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

जम्मू एण्ड कश्मीर राज्य के जिले राजौरी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 144A के कि.मी. 90+150 से 116+980 कि. मी. (अखनुर से पुँछ रोड सेक्शन-5) के लिए भू खण्ड अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: राजौरी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: राजौरी					
गांव का नाम: कल्लार					
1	101min	निजी	असिंचित	0.0356000(हेक्टेयर)	0.0356000
2	102	निजी	असिंचित	0.2047000(हेक्टेयर)	0.2047000
3	103	निजी	असिंचित	0.1789000(हेक्टेयर)	0.1789000
गांव का नाम: धानवा					
1	149	निजी	असिंचित	0.0625000(हेक्टेयर)	0.0625000
2	242/1	निजी	असिंचित	0.0025000(हेक्टेयर)	0.0025000
3	243	निजी	असिंचित	0.0450000(हेक्टेयर)	0.0450000
4	244	निजी	असिंचित	0.0725000(हेक्टेयर)	0.0725000
5	245	निजी	असिंचित	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000
6	246	निजी	असिंचित	0.0075000(हेक्टेयर)	0.0075000
7	246 min	निजी	असिंचित	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
8	246min	निजी	असिंचित	0.0175000(हेक्टेयर)	0.0175000
9	278	निजी	असिंचित	0.0250000(हेक्टेयर)	0.0250000
10	279	निजी	असिंचित	0.0250000(हेक्टेयर)	0.0250000
11	330	सरकारी	असिंचित	0.1525000(हेक्टेयर)	0.1525000
12	333	निजी	असिंचित	0.0125000(हेक्टेयर)	0.0125000
13	335	सरकारी	असिंचित	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000
14	339	सरकारी	असिंचित	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
कुल				1.0617	1.0617

[फा. सं. 5/3A3]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th October, 2020

S.O. 3868(E).—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956)(hereafter referred to as the said act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/2-Laning with paved shoulder), maintenance, management and operation of the National Highway No.144A in the stretch of land from Km 90+150 to 116+980 Km Akhnoor to Poonch Road in the District- Jammu, Reasi, Rajouri & Poonch in the State of Jammu & Kashmir, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3 C of the said act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Deputy Commissioner Land Acquisition Rajouri H Q., Rajouri District Rajouri, in writing and shall set out the grounds there of and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3 C of the said act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km 90+150 to 116+980 (Akhnoor to Poonch Road Sectioc - 5) Road of the National Highway No. 144A in the State of Jammu & Kashmir.

State: JAMMU & KASHMIR			District: Rajouri		
Sno	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Rajouri					
Village: Kallar					
1	101min	Private	Non-irrigated	0.0356000(Hectare)	0.0356000
2	102	Private	Non-irrigated	0.2047000(Hectare)	0.2047000
3	103	Private	Non-irrigated	0.1789000(Hectare)	0.1789000
Village: Dhanwan					
1	149	Private	Non - irrigated	0.0625000(Hectare)	0.0625000
2	242/1	Private	Non - irrigated	0.0025000(Hectare)	0.0025000
3	243	Private	Non - irrigated	0.0450000(Hectare)	0.0450000
4	244	Private	Non - irrigated	0.0725000(Hectare)	0.0725000
5	245	Private	Non - irrigated	0.0700000(Hectare)	0.0700000
6	246	Private	Non-irrigated	0.0075000(Hectare)	0.0075000
7	246 min	Private	Non - irrigated	0.0200000(Hectare)	0.0200000
8	246min	Private	Non-irrigated	0.0175000(Hectare)	0.0175000

9	278	Private	Non-irrigated	0.0250000(Hectare)	0.0250000
10	279	Private	Non - irrigated	0.0250000(Hectare)	0.0250000
11	330	Government	Non - irrigated	0.1525000(Hectare)	0.1525000
12	333	Private	Non - irrigated	0.0125000(Hectare)	0.0125000
13	335	Government	Non - irrigated	0.0700000(Hectare)	0.0700000
14	339	Government	Non-irrigated	0.0600000(Hectare)	0.0600000
Total				1.0617	1.0617

[F. No. 5/3A3]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.